9/7/2020 पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता उप०। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा रेस्पो० को भेजे गये रजि० एडी लिफाफे की पोस्टल रसीदें मय कन्फर्म रिपोर्ट एवं आमंत्रण/समन [illegible] में 390 पेश की। शामिल मिसल है। रेस्पो० सं० 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21/7/2020 को पेश हो।

अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

21/7/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट्स उपस्थित। रेस्पोडेंट्स को सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भिजवाए गए तथा उनकी डिलीवरी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर है। गत पेशी पर रेस्पोडेंट्स को उपस्थिति हेतु एक अवसर न्याय-हित में दिया जाना उचित समझा क्योंकि कोविड-19 के कारण 10-12 दिन का अवसर दिया था। बावजूद सम्मन तामील रेस्पोडेंट्स अनुपस्थित हैं। लिहाजा अपीलांट वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

LTI [illegible]

अपीलांट वकील का कथन रहा है कि अपीलांट्स ने अपनी खातेदारी के खेत तक आने-जाने हेतु एक रास्ते की मांग करते हुए RT Act की धारा 251क के तहत एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

P.T.O

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(2) प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है।

(3) प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा - पक्का निर्माण नहीं है।

(4) वांछित रास्ते का रकबा ख.नं० 401 में प्रस्तावित 20गुणा 296 फीट यानि करीब 0.09 बीघा बनता है। उक्त खसरा संयुक्त खातेदारी का होने से प्रत्येक खातेदार के हिस्से की प्रभावित भूमि एवं उस भूमि की DLC दर की दुगुनी राशि का विवरण पृथक से संलग्न है, इस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत मौका फर्द भी इन्ही तथ्यों की पुष्टि करती है जो मौके पर ILR बालाव पटवारी रामानन्दी ने दि० 2/9/19 को तैयार की है। इसमें नजरी नक्शा बनाकर लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ता भी दर्शित किया गया है। यह मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण नंदलाल, छोटाराम की मौके पर उपस्थिति में बनाई है जैसा कि रिपोर्ट में अंकित है।

मामले में रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता प्रार्थीगण को है। प्रकरण में ली गई रिपोर्ट (मय मौका फर्द) प्रार्थीगण के लिए एकमात्र वैकल्पिक और लघुतम दूरी वाला रास्ता प्रस्तावित करती है और नियमानुसार प्रार्थीगण को रास्ते के आवागमन के लिए उपयुक्त और समक्ष करती है। प्रार्थीगण का आवेदन निहायत वाजिब है, इन्हें रास्ता चाहिए। ख.नं० 383/623 रकबा 21.1634 है किस्म गै.मु. आगोर है लेकिन ख.नं० 390 रकबा 30.8391.है० गै. मु. गोवा है जो स्थानीय आवागमन के लिए है। इस गै.मु. गोवा तक प्रार्थीगण के खातेदारी खेत ख.नं० 400 में आवागमन हेतु बीच में पड़ने वाले अप्रार्थीगण के खेत ख.नं० 401 में रास्ता दिया जाना उपयुक्त एवं न्यायोचित है। यह रास्ता ख.नं० 390 गै.मु० गोवा तक प्रार्थीगण की पहुँच सुगम और सुनिश्चित करता है। इससे बेहतर और लघुतम अन्य कोई रास्ता है ही नहीं लिहाजा प्रार्थीगण की रास्ते की मांग अप्रार्थीगण के खेत ख.नं० 401 में में होना वाजिब है।

P.T.O

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय ने ख.नं. 383/623 गै.मु. आगोर को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया जो ठीक नहीं है जबकि मुताबिक रिपोर्ट सर्वोत्तम रास्ता प्रस्तावित था जिस पर कोई गौर नहीं कर भारी भूल की गई है। प्रार्थीगण द्वारा 20 फीट चौड़ाई का रास्ता मांगा गया है जिसे उपयुक्त चौड़ाई तक सीमित किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण को 15 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाना उपयुक्त और व्यावहारिक है जिसके अप्रार्थीगण की छोटी जोत को देखते हुए उचित लगता है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं विश्लेषण पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी के खेत ग्राम रामासनी के ख.नं. 400 तक गै.मु. गोचर ख.नं. 390 से अप्रार्थीगण के ख.नं. 401 में से 15 फीट चौड़ाई तथा 396 फीट लम्बाई में रकबा 6 बिस्वा 15 बिस्वांसी रास्ता प्रदान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं जिसकी प्रतिकर राशि रुपये 13670 (अक्षरे रुपये तेरह हजार छः सौ सत्तर) प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उनकी आनुपातिक हिस्से की खातेदारी मुजब अदा करेंगे। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को उपरोक्तानुसार आदेशित रास्ता का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में कर रास्ते का मौके पर कब्जा सहित सुपुर्द करे।

पत्रावली मुकम्मल सुधार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की प्रति के साथ संलग्न कर पत्रावली लौटावें, एक प्रति तहसीलदार, बिलाड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(हस्ताक्षर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जिसमें अपीलांट की खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं० 400 रकबा 11 बीघा 0 बिस्वा के उत्तरी-पश्चिमी दिशा की ओर रेफो० सं. 1 से 2 की भूमि ख.नं० 401 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा स्थित है, ग्राम रामासनी की सरहद में ख.नं० 401 रकबा 9-10 बीघा के पश्चिमी दिशा की ओर अथूणा जाने वाला मार्ग कटाणी रास्ता आया हुआ है, मार्क ABCDEFGH से रास्ता आने-जाने हेतु काम में लेते है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि तक जाने का यही एकमात्र रास्ता है जिसे प्रदान किया जावे। प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश हुआ कि ख.नं० 401 के पश्चिमी दिशा में अथूणा जाने वाले मार्ग कटाणी रास्ता नहीं है अपितु ख.नं० 383/623 की आगोर भूमि है जो आम रास्ते की नहीं है। लिहाजा इसका आने जाने हेतु उपयोग करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता न ही दर्शित भूमि कभी रास्ते के उपयोग में ली गई। वह ख.नं० 405 व 406 की उत्तरी दिशा में स्थित माढ को रास्ते के रूप में उपयोग-उपभोग में लेते आ रहे हैं। अप्रार्थी सं-3 का जवाब रहा कि प्रार्थीगण के खेत ख.नं० 400 में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही वैकल्पिक रास्ता है, यही नजदीकी रास्ता भी है लिहाजा 20 फीट चौड़ा व 396 फीट करीब 09 बिस्वा रकबा का मार्ग दिया जावे। अप्रार्थी सं-3 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई विश्लेषण किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण (अपीलांट) के खातेदारी खेत तक उपयुक्त निर्विघ्न रास्ता प्रदान किया जावे। अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज फरमाया जावे और अपील स्वीकार की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश का बारीकी से विश्लेषण किया। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा एक सर्वोत्तम विकल्प भी मौजूद था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया। प्रकरण में एक मौका फर्द दि. 22.10.2019 का हवाला अपीलाधीन आदेश में है। इस मौका फर्द के अवलोकन से मामले में संपूर्ण स्थिति बिंदुवार स्पष्ट की गई है:-

(1) प्रार्थी के खेत ख.नं० 400 में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही वैकल्पिक रास्ता है)

P.T.O

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2020.07.28 14:01:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: